9 5/B 52

(83)

अभिशाप बनती खेती

9-12-15 दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण)

मुद्दा

■ भारत डोगरा

वैसे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत समय से प्रतिकूल मौसम की मार लोगों को सहनी पड़ी है, परंतु यह वर्ष विशेषकर बहुत कठिन रहा है। बहुत से गांवों में लोगों का दुख-दर्द असहनीय हद तक बढ़ गया है। पहले से भी अधिक संख्या में वे अपने बूढ़े मां-बाप को गांव में छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में दूर-दूर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस वर्ष एक के बाद एक तीन फसलों की भारी क्षति इन किसानों ने देखी है। पिछली रबी की फसल अच्छी-भली पककर तैयार हो रही थी। परंतु फरवरी से अप्रैल तक असामयिक भारी वर्षा व ओलावृष्टि ने इन फसलों को इतना नुकसान पहुंचाया कि अनेक गांवों में लगभग पूरी फसल ही नष्ट हो गई जबकि अनेक अन्य गांवों में भारी क्षति हुई। इसके बाद सूखे का संकट आरंभ हुआ तो कुछ सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में खरीफ की फसल भी नष्ट हो गई। सूखा जारी रहा तो एक बड़े क्षेत्र में वर्तमान रबी की फसल की बुआई ही नहीं हो सकी, जबकि एक अन्य बड़े क्षेत्र में हल्की सी वर्षा के बाद बुआई तो हो गई परंतु उसके बाद वर्षा न होने के कारण इस बुआई से कुछ उत्पादन प्राप्त होने की संभावना बहुत कम हो गई है। इस तरह बड़ी संख्या में किसानों को एक के बाद एक तीन फसलों की क्षति सहनी पड़ी, जबकि उससे पहले भी स्थिति प्रतिकूल ही चल रही थी। इस क्षेत्र में बहुत सी कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित ही है। सिंचाई की सुविधाएं अपेक्षाकृत काफी कम हैं।

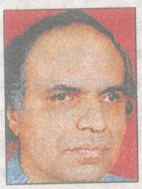

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैले बुंदेलखंड के विशाल क्षेत्र में इस वर्ष के मौसम के अनुभवों में कुछ स्थानीय विविधताएं हो सकती हैं, पर कुल मिलाकर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस वर्ष मौसम पूरे क्षेत्र के लिए अत्यधिक प्रतिकूल रहा है। साथ में यह भी सच है कि सरकारों द्वारा राहत व रोजगार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों का दुख-दर्द और गहरा हो गया है। इस तरह की कठिन स्थितियों के लिए ही तो मनरेगा का कानून बनाया गया था ताकि गांववासियों को उस समय रोजगार की गारंटी मिल सके जब उन्हें इसकी जरूरत सबसे अधिक है। पर उत्तर प्रदेश के महोबा और बांदा जिले के नौ गांवों में हाल के समय के दौरान पाया गया कि कहीं भी मनरेगा का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ है। इसके अंतर्गत बहुत कम रोजगार हाल के कठिन समय में मिल सका है और जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उसकी मजदूरी भी समय पर नहीं दी गई। इससे रोजगार गारंटी कानून से लोगों को मिलने वाला फायदा बहुत कम हो गया है और वे बड़ी संख्या में अपने गांव छोड़कर दूर-दूर के क्षेत्रों में अन्य रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। फसलों में भारी क्षति का मुआवजा भी ठीक से नहीं दिया गया है। रबी की फसल की क्षतिपूर्ति मिली है पर अनेक किसानों की क्षति को ठीक से जांचा नहीं गया है। लोगों ने शिकायत की कि लेखपाल रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट बना देते हैं। इस वर्ष खरीफ की फसल की जो भारी क्षति हुई उसका मुआवजा अधिकतर गांवों में अभी नहीं पहुंचा है। बटाईदारों व ठेके पर भूमि लेने वालों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, जबकि वे मेहनत करते हैं और अपना पैसा भी लगाते हैं। एक के बाद एक फसल नष्ट होने के कारण अधिकांश किसानों के घर में अपने खेत का अनाज नहीं है। अतः वे सब बाजार से खाद्य सामग्री खरीदने पर मजबूर हो गए हैं।

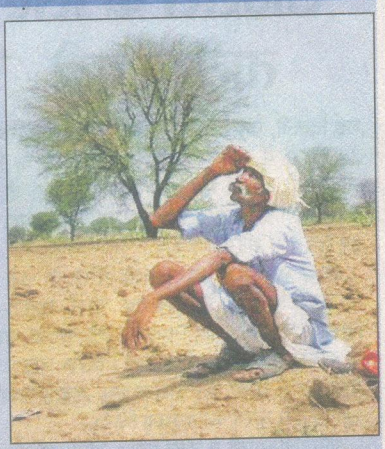

बुंदेलखंड के किसानों को एक के बाद एक तीन फसलों की क्षति सहनी पड़ी। इस क्षेत्र में बहुत सी कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, लेकिन सिंचाई की सुविधाएं अपेक्षाकृत काफी कम हैं

बीपीएल व अंत्योदय कार्ड बहुत कम लोगों के पास है। इसमें सस्ता अनाज मिलता भी है तो वह महीने में लगभग एक सप्ताह के लिए ही पूरा पड़ता है। शेष समय तो बाजार-भाव से अनाज खरीदना पड़ता है और बाजार भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। छह सदस्यों के एक परिवार के लिए प्रतिदिन पांच किग्रा अनाज चाहिए जो लगभग सौ रुपये का मिल रहा है। जबकि इतना ही पैसा एक दिन में थोड़ी बहुत सब्जी, तेल व मसालों के लिए चाहिए ताकि घर में दो वक्त भरपेट भोजन मिल सके। इसमें दूध, चाय पत्ती, दाल, फल आदि का खर्च शामिल नहीं है। अपनी फसल नष्ट होने पर कई परिवारों ने बहुत समय से दाल खाई ही नहीं है। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। केवल छाछ इधर-उधर से मिल जाए तो गनीमत है। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है अतः उनसे बहुत कम दूध मिल रहा है। भूसे का भाव 600 रुपये क्विंटल है। चारे का प्रबंध न होने के कारण पशुधन रखना किसान के लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। अनेक गांवों में सामूहिक बातचीत में गांववासियों ने बताया कि रोटी-नमक व रोटी-चटनी ही मुख्य भोजन है। कभी-कभी बहुत हुआ तो पानी मिलाकर आलू की सब्जी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए भी टमाटर खरीदना कठिन हो रहा है। रोटी भी सदा भरपेट नहीं मिलती है। कई प्रवासी मजदूर परिवारों में जहां बूढ़े मां-बाप अकेले है और जो निराश्रित वृद्ध है, उनके लिए पेट भरना सबसे कठिन है। इसके अतिरिक्त पेयजल की समस्या कुछ गांवों में विकट हो गई है और कुछ अन्य गांवों में एक-दो महीने बाद समस्या विकट होने की संभावना है। जब मनुष्यों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो पशुओं के लिए पेयजल संकट और भी विकट है। भूखे-प्यासे पशु लाचार घूम रहे हैं।

गांववासियों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज दिए बिना पेट भरना कठिन है, क्योंकि स्थानीय मजदूरी बहुत कम मिल रही है। साहूकार तीन से सात प्रतिशत चक्रवर्ती दर पर कर्ज दे रहे हैं। कर्ज के कारण लोगों की जमीन बंधक है व कुछ मामलों में बिक भी रही है। उधर माता-पिता बेटी के विवाह की चिंता से अलग चिंतित हैं। जब खाने-पीने का संकट हो तो फिर शादी-ब्याह के खर्च का जुगाड़ कैसे हो। अतः पहले से तय विवाह की तिथि को कई बार टालना पड़ रहा है। इन विकट स्थितियों में यह बहुत जरूरी है कि सरकार शीघ्र से शीघ्र नरेगा व सूखा-राहत कार्य बड़े पैमाने पर आरंभ करे जिनका क्रियान्वयन ईमानदारी से हो व समय पर पूरी मजदूरी मिले। फसलों की क्षति का मुआवजा भी ठीक से शीघ्र बंटना चाहिए। आंगनवाड़ी व मिड-डे मील के क्रियान्वयन में बहुत सुधार की जरूरत है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इस समय सुधार भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिए प्राइवेट इलाज करवा पाना अब उनकी सीमा से बाहर हो गया है। सरकारी केंद्रों में निःशुल्क इलाज न मिला तो वे इलाज करवा ही नहीं सकेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं व नागरिक संगठनों को भी राहत व सहायता के प्रयास तेज करने चाहिए। विद्याधाम समिति ने बांदा जिले व नरैनी प्रखंड में 30 अनाज बैंक व भूसा बैंक आरंभ किए हैं जिससे कुछ गांवों में बहुत राहत मिली है। महोबा जिले में भी कुछ सजग नागरिकों द्वारा ऐसे उपाय आरंभ किए जा रहे हैं। प्रशासन व नागरिक संगठनों का संयुक्त प्रयास यह होना चाहिए कि लोगों के दुख-दर्द को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले ही किसानों की अनेक आत्महत्याएं हो चुकी हैं। संकटग्रस्त ग्रामवासियों को यह अहसास मिलना चाहिए कि कई लोग कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं, उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। अतः यह समय समाज की संवेदनाओं को व्यापक स्तर पर जाग्रत करने का भी है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)